मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनॉक:	निर्णय दिनॉक:	अवधि:
27/02/17	22/06/20	3 वर्ष, 3 माह, 26 दिन

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी. संख्या–८९/२०१७

रेखा कौशिक उम्र करीब ४६ वर्ष पत्नी स्व. डॉ. महावीर शरण कौशिक

–––––याची।

प्रति

१. तरुण कुमार गुप्ता उम्र करीब ४८ वर्ष तनय अशोक कुमार गुप्ता निवासी ३०/अन्दर बड़ागॉव गेट झॉसी, उ.प्र.

..............वाहन स्वामी वाहन नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ महिन्द्रा पिकप

२. नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड इलाईट चौराहा, झॉसी जरिये शाखा प्रबन्धक ने. इं. क. लि. झॉसी

............बीमाकर्ता वाहन नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ महिन्द्रा पिकप

३. रहीम खॉन तनय मन्नी खॉन निवासी कटरा गुरसरांय

...............चालक वाहन नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९

–––––विपक्षीगण।

याचीगण के अधिवक्ता–––––––––श्री शिवकान्त शर्मा

विपक्षी सं. १ व ३ के अधिवक्ता––––श्री संजय देव शर्मा

विपक्षी सं. २ के अधिवक्ता–––––––श्री एस. बी. कनकने

निर्णय

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याचिया द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा १४० व १६६ के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में याचिया श्रीमती रेखा कौशिक को आयी चोटों के कारण ₹ ४५,००,०००/–क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

२. संक्षेप में प्रकरण यह है कि याचिया अपने परिवार के साथ दिनॉक २२.१०.२०१६ को समय करीब ६ बजे गुरसरांय अपने घर से सिद्धेश्वर मन्दिर दर्शन के लिये गयी थी और लौटते समय एरच–गुरसरांय मेन सड़क के किनारे याचिया व उसकी दो पुत्रियॉ आकांक्षा व अपूर्वा व पति के साथ खड़ी थीं तभी गुरसरांय की ओर से आ रही लोडर मालवाहक पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ का चालक अपने वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक अधिक उतावलेपन में बिना हॉर्न बजाये चलाता हुआ आया और याचिया व उसके परिवार को जोरदार टक्कर मार दी जिससे याचिया व उसके परिवार के लोग कच्ची सड़क के पास खेत में गिर गये और गम्भीर चोटों के कारण बेहोश हो गये। राहगीरों की मदद से याचिया व उसके परिवार के लोगों को प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुरसरांय लाया गया जहां से उन्हें झॉसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झॉसी रेफर कर दिया गया वहॉ उपचार से सन्तुष्ट न होने पर याचिया को शीला जैन प्राईवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया जहां रहकर याचिया का २२ दिनों तक पेरों व हाथों का ऑपरेशन चलता रहा। याचिया घर पर ही कोचिंग का कार्य करके १३,०००/– रुपये प्रतिमाह कमा लेती थी।

३. विपक्षी सं. १ व ३ क्रमशः तरुण कुमार गुप्ता व रहीम खॉ जो कि प्रश्नगत महिन्द्रा पिकप नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ के स्वामी व चालक हैं, की ओर से १५बी संयुक्त जवाबदावा दाखिल किया गया जिसमें उन्होंने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.06.22 17:17:05 UTC
Reason: Document Owner
Location: MOTOR ACCIDENT CLAIM TRIBUNAL JHANSI UP

मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि उनके उक्त वाहन से कथित दुर्घटना नहीं हुयी है। विपक्षी सं. ३ कुशल चालक है व उसके पास दुर्घटना के दिनॉक व समय पर वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था तथा विपक्षीगण का उक्त वाहन घटना के समय विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी के यहॉ समस्त दायित्वों के लिये बीमित था अतः क्षतिपूर्ति अदायगी का यदि कोई दायित्व पाया जाता है तो क्षतिपूर्ति अदायगी का सम्पूर्ण दायित्व विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी का होगा ।

४. विपक्षी सं. २ नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, महिन्द्रा पिकप नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ की बीमा कम्पनी की ओर से जवाबदावा दिनॉकित १५.१२.२०१७ दाखिल किया गया है, जिसमें उसने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि विपक्षी सं. १ प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत स्वामी नहीं है तथा कथित दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास उक्त वाहन चलाने का वैध लाइसेन्स नहीं था और न ही विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी द्वारा उक्त वाहन बीमित था। विपक्षी बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व बीमा पॉलिसी की शर्तो के अनुसार ही होता है अन्यथा नहीं। याचीगण ने मिथ्या तथ्यों पर याचिका बढ़ा–चढ़ाकर अन्य किसी प्रकार से हुई दुर्घटना को पश्चात विचारों पर तोड़–मरोड़ कर व साजिश विपक्षी सं. १ दुर्घटना के दिनॉक से २ माह बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर फर्जी रूप से क्लेम पाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की है जो खारिज होने योग्य है।

५. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनॉक २१.०३.२०१८ को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः–

१. क्या दिनॉक २२.१०.२०१६ को समय करीब ६.०० बजे जब याचिया श्रीमती रेखा कौशिक अपने पति महावीर शरण कौशिक व दो पुत्रियों के साथ अपने घर से सिद्धेश्वर मंदिर दर्शन के लिये गयी थी तब मंदिर से लौटते समय एरच गुरसरांय मेन सड़क के किनारे याचिया रेखा कौशिक अपने पति व दोनों पुत्रियों सहित सड़क किनारे खड़ी थी उसी समय गुरसरांय की ओर से आ रही लोडर छोटी मालवाहक गाड़ी पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ का चालक उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से बिना हॉर्न बजाये चलाता हुआ आया और याचिया में टक्कर मार दी जिससे याचिया को गम्भीर चोटें आयीं?

२. क्या दुर्घटना की दिनॉक व समय पर पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ के चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था?

३. क्या दुर्घटना की दिनॉक व समय पर पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ विपक्षी सं. २ नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. से बीमित थी?

४. क्या याचीगण कोई प्रतिकर पाने के अधिकारी हैं, यदि हॉ तो कितनी व किस विपक्षी से?

६. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः–

१. याचिया द्वारा फेहरिस्त ७सी१ के माध्यम से ८सी१ लगायत १०सी/३ प्रपत्र जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज झॉसी के आकस्मिक विभाग व रेडियोलॉजी विभाग के पर्चे, इंजरी रिपोर्ट, बीमा पॉलिसी, फिटनेस प्रमाणपत्र व पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रतियॉ शामिल हैं,

२. याचिया की ओर से फेहरिस्त ३९सी१ के माध्यम से ४०सी१/१ लगायत ९१सी१ प्रपत्र जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोपपत्र, नक्शा नजरी, महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज झॉसी के आकस्मिक विभाग व रेडियोलॉजी विभाग के

असल पर्चे, शीला जैन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का असल डिस्चार्ज टिकिट, महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज झाँसी के आकस्मिक विभाग का याचिया की असल इन्जरी फॉर्म, इलाज के पर्चे, इंजरी रिपोर्ट, दावाओं के बिल आदि शामिल हैं,

३. विपक्षीगण सं. १ व ३ की ओर से फेहरिस्त १६सी१ के माध्यम से १६सी१/२ लगायत १६सी१/५ प्रपत्र जिनमें पंजीयन प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी, फिटनेस प्रमाणपत्र व ड्राईविंग लाइसेन्स की छाया प्रतिलिपियाँ शामिल हैं,

४. इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अजय नायक, कनिष्ठ सहायक, मेडिकल कॉलेज, झाँसी द्वारा फेहरिस्त ३५सी१ से ३६सी१ श्रीमती रेखा की इंजरी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है तथा रहीश खाँ रिकॉर्ड कीपर, शीला जैन मल्टिस्पेशियलटी हॉस्पिटल द्वारा फेहरिस्त ३७सी१ के माध्यम से ३८सी१/१ लगायत ३८सी१/७७ प्रपत्र जिनमें याचिया श्रीमती रेखा कौशिक के इलाज से सम्बन्धित बिल वाउचर, भर्ती रिकॉर्ड, डिस्चार्ज पत्र, रिपोर्ट आदि शामिल हैं,

५. याचिया की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू. १ के रूप में याचिया श्रीमती रेखा कौशिक स्वयं को व पी.डब्लू. २ के रूप में राजकुमार को परीक्षित कराया गया है,

६. विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है।

७. मैंने उभयपक्ष की ओर से वर्चुअल कोर्ट मे उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

८. <u>**निस्तारण वाद बिन्दु सं. १**</u>

वाद बिन्दु सं.१ को साबित करने के लिये याची की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, आरोप–पत्र तथा इलाज के प्रपत्रों की सत्यापित व मूल प्रतियाँ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गयी हैं तथा मौखिक साक्ष्य के अन्तर्गत चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में पी.डब्लू. १ याचिया रेखा कौशिक तथा पी.डब्लू. २ राज कुमार को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। बीमा कम्पनी के विद्वान् अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में दो माह का विलम्ब है, जिससे घटना सन्देहास्पद हो जाती है तथा वाहन को झूठा आरोपित करने का मौका मिल जाता है, एक क्रेशर मालिक की गाड़ी से दुर्घटना बताई गयी है जबकि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के मुखिया भी क्रेशर मालिक हैं। बीमा कम्पनी के इस तर्क से मैं सहमत नही हूँ क्योंकि इस दुर्घटना में महावीर शरण की मृत्यु तथा उनके परिवार में उनकी पत्नी याचिया श्रीमती रेखा कौशिक तथा दो बच्चियाँ भी गम्भीर रूप से घायल हुयी हैं जिनके इलाज में दो माह का समय लगने की पूरी संम्भावना है। दुर्घटनाकारक वाहन के स्वामी का क्रेशर मालिक होना महज इत्तेफाक हो सकता है क्योंकि इसके समर्थन मे बीमा कम्पनी की ओर से कोई साक्ष्य नही है। विधि व्यवस्था <u>**रवि बनाम बद्रीनारायण व अन्य (18.02.2011 – SC): MANU / SC / 0133/20**</u>11 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि *मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावे के लिए एफ.आई.आर. निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को साबित करती है जिससे कि पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिए एक मामले को दर्ज करने में सक्षम है लेकिन ऐसा करने में देरी दावे को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकती है। घटनाओं के संचयी प्रभाव को आंका जाना है।* [पैरा – २० और २१]

<u>**अर्चित सैनी व अन्य बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य (09.02.2018 – SC): MANU / SC / 0105/2018**</u> के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि *मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले में दावेदारों को मामले मे इतनी*

यात्रा की आवश्यकता नहीं है जितनी एक आपराधिक मुकदमे में। न्यायालय को इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। एक विशेष बस द्वारा एक विशेष ढ़ंग से दुर्घटना कारित किए जाने को सख्त सबूत द्वारा साबित किया जाना दावेदारों के लिए संभव नहीं है। दावेदारों को केवल अधिसंभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर अपना मामला स्थापित करना था। उचित संदेह से परे प्रमाण का मानक नहीं हो सकता था।

९. याचिया श्रीमती रेखा कौशिक ने स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। वह घटना की चक्षुदर्शी साक्षी है और दुर्घटना मे घायल हुई है। याचिया ने बिलम्ब का स्वाभाविक स्पष्टीकरण अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी दिया है। पी.डब्लू. १ ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का विस्तृत विवरण देते हुये सशपथ कथन किया है कि दुर्घटना दिनाँक २२.१०.२०१६ की है। वह अपने घर से सिद्धेश्वर मन्दिर दर्शन के लिए जा रही थी। उसके साथ उसके पति श्री महावीर शरण कौशिक और दो बेटियां आकांक्षा कौशिक और अपूर्व कौशिक भी थीं। वहां से लौटते समय गुरसराय एरच मुख्य मार्ग के सड़क के नजदीक वह सभी लोग खड़े हो गए थे और उसके पति लघुशंका के लिए गुरसराय रोड से थोड़ी सी दूरी पर चले गए थे। वहां से लौटते समय गुरसराय की ओर से वाहन संख्या यू.पी. ७७ टी ५०८९ का चालक अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से और लहराते हुए बिना हार्न बजाए आया और लौट रहे उसके पति और प्रार्थीया और उसकी दो बेटियों में जोरदार टक्कर मार दी जिसके कारण उसके पति उछलकर दूर जाकर गिर गए थे और वे सभी लोग लहूलुहान अवस्था में सड़क के किनारे गिर गए थे। राहगीरों के द्वारा उसके परिवार के लोगों को सूचना दी गई।

१०. पी.डब्लू. २ ने भी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि दुर्घटना दिनाँक २२.१०.२०१६ समय करीब ६:३० या शाम ७:०० बजे की है। दुर्घटना स्थल गुरसराय एरच मुख्य मार्ग सिद्ध बाबा मंदिर के सामने कच्ची सड़क पर हुई थी। दुर्घटना कारित करने वाला वाहन संख्या यू.पी. ७७ टी ५०८९ जो गुरसराय की ओर से आ रहा था। वह एरच गुरसराय मुख्य मार्ग पर खड़ा था और उसके सामने सड़क और सड़क की दूसरी ओर महावीर कौशिक और उनकी पत्नी रेखा कौशिक और उनकी दो बच्चियाँ अपूर्वा कौशिक और आकांक्षा कौशिक खड़ी थी। तभी उसने देखा कि गुरसराय की ओर से आ रही पिकप यू.पी. ७७ टी ५०८९ का चालक तेजी व लापरवाही से चलाता आया और महावीर कौशिक और उनकी पत्नी और बच्चों में जोरदार टक्कर मार दी। महावीर कौशिक सड़क पर गिर गए थे। उनकी पत्नी और लड़कियां कच्ची सड़क पर गिर गई थीं। यह घटना उसने होते हुए देखी। दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को उसने और राहगीरों ने आवाज लगाई तब जाकर आगे लोडर थोड़ा धीमा हुआ। उस समय उसने गाड़ी का नंबर देख लिया था। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में इसकी हितबद्धता के सम्बन्ध में कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है। विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अंधेरे में नम्बर नहीं देखा जा सकता है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि हल्का–हल्का अंधेरा था, उसने नम्बर देख लिया था। मेरे विचार से २२ अक्टूबर को शाम साढ़े छैः–सात बजे के बीच में इतना अंधेरा नहीं होता है कि नम्बर न देख पाया जाए। यदि अधिक अंधेरा होगा तो वाहन चालक लाईट जलाकर चलेगा और जब लाईट जलाकर चलेगा तो नम्बर प्लेट पर पड़ा नम्बर पढ़ा जा सकता है। इस साक्षी को यह सुझाव दिया गया है कि मृतक का परिवार कार में था और यह कार पेड़ से टकरायी जिससे साक्षी ने इन्कार किया है। बीमा कम्पनी की ओर से इन्वेस्टीगेशन की कोई ऐसी रिपोर्ट दाखिल नहीं की गयी है जिसमें कार का पेड़ से टकराने का कोई मामला सामने आता हो और ना ही नक्शा नजरी में कार का कोई जिक्र है। नक्शा नजरी निम्नवत है–

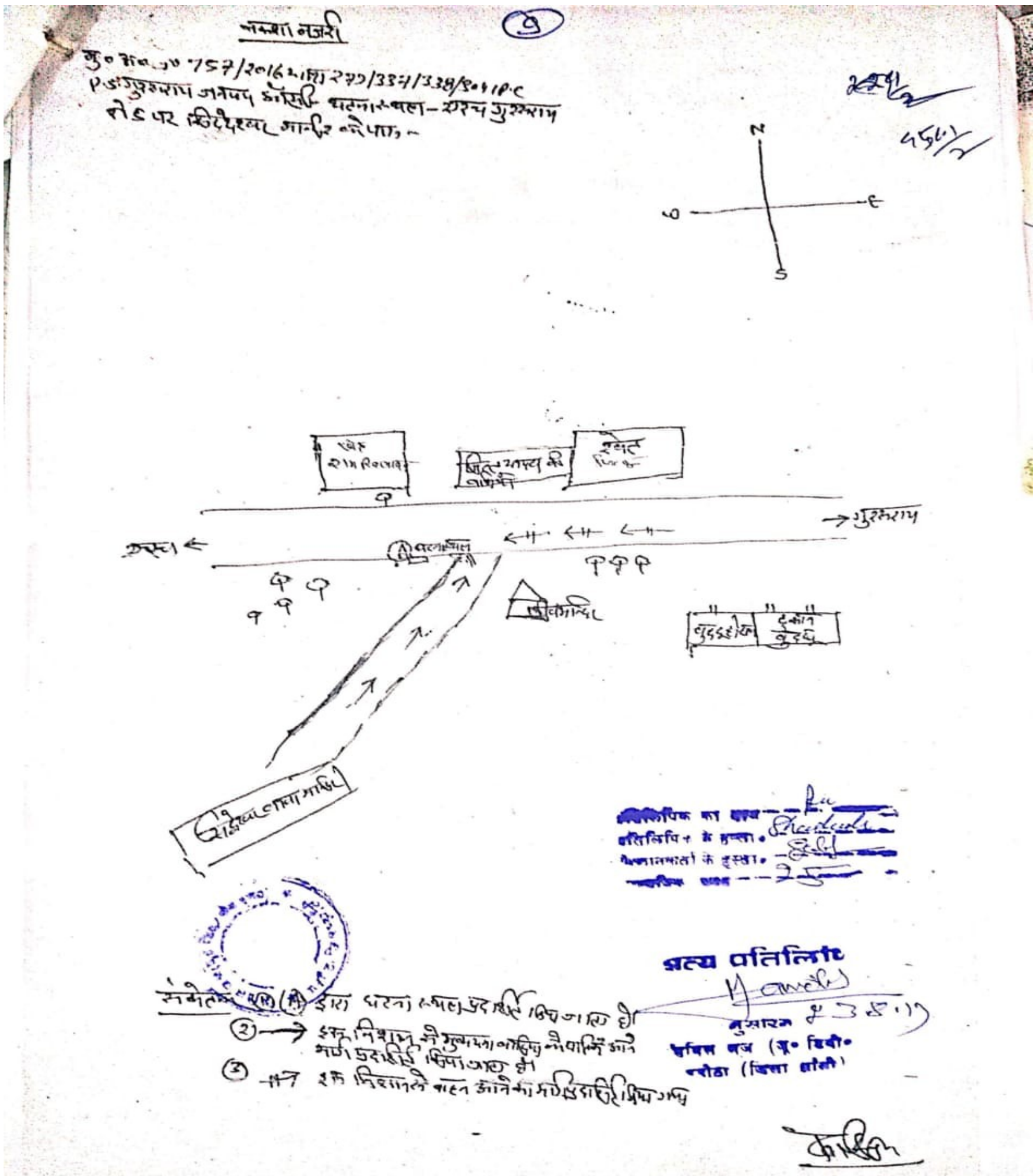

पी.डब्लू. २ की साक्ष्य की सत्यता पर भी कोई सन्देह नहीं होता है अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि दिनॉक २२.१०.२०१६ को समय करीब ६.०० बजे जब याचिया श्रीमती रेखा कौशिक अपने पति महावीर शरण कौशिक व दो पुत्रियों के साथ अपने घर से सिद्धेश्वर मंदिर दर्शन के लिये गयी थी तब मंदिर से लौटते समय एरच गुरसरांय मेन सड़क के किनारे याचिया रेखा कौशिक अपने पति व दोनों पुत्रियों सहित सड़क किनारे खड़ी थी उसी समय गुरसरांय की ओर से आ रही लोडर छोटी मालवाहक गाड़ी पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ का चालक उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से बिना हॉर्न बजाये चलाता हुआ आया और याचिया में टक्कर मार दी जिससे याचिया को गम्भीर चोटें आयीं। **तदनुसार वाद बिन्दु सं. १** सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

११. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. २</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर विपक्षी सं. १ व ३ की ओर से प्रपत्र सं. १६सी१/२ रहीम खॉ पुत्र मन्नी खॉ की चालन अनुज्ञप्ति की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार यह चालन अनुज्ञप्ति दिनॉक ०६.०५.१९९७ को जारी की गयी है तथा यह ११.०४.२०२८ तक ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। इस अनुज्ञप्ति का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। घटना दिनॉक २०.१०.२०१६ की है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि बुलेरो पिकप नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ के चालक के पास दुर्घटना की दिनॉक पर प्रश्नगत वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था। तदुनसार वाद बिन्दु सं. २ सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

१२. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. १०सी१ छाया प्रति बीमा पॉलिसी व विपक्षी सं. १ व ३ की ओर से प्रपत्र सं.१६सी१/३ बीमा पॉलिसी की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार उक्त प्रश्नगत महेन्द्रा पिकप का बीमा दिनॉक ०१.०६.२०१६ से ३१.०५.२०१७ तक प्रभावी है। इस बीमा पॉलिसी का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। घटना दिनॉक २०.१०.२०१६ की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटना की दिनॉक व समय पर पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ विपक्षी सं. २ नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. से बीमित थी। तदनुसार वाद बिन्दु सं. ३ सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

१३. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ४</u>

वाद बिन्दु सं. १ के निस्तारण से यह साबित है कि प्रश्नगत दुर्घटना के दिनांक व समय पर मालवाहक गाड़ी पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ का चालक उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से बिना हॉर्न बजाये चलाता हुआ आया और याचिया में टक्कर मार दी जिससे याचिया को गम्भीर चोटें आयीं। इस प्रकार याचिया क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अब प्रश्न यह है कि किस विपक्षी से और कितनी? चूंकि वाद बिन्दु सं. २ व ३ सकारात्मक रूप से निर्णीत किये गये हैं अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं. २ नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का है।

१४. स्थाई रूप से विकलांगता का कोई कथन या साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। पी.डब्लू.१ ने यह साक्ष्य दिया है कि दुर्घटना में उसको अति गंभीर चोटें आईं। उन सभी लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय ले जाया गया। उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे और उसकी दोनों बेटियों और सभी लोगों को मेडिकल कॉलेज झांसी लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे और उसकी दोनों बेटियों को प्राइवेट नर्सिंग होम (शीला जैन नर्सिंग होम में) भर्ती कराया। वहां भर्ती रहकर कई यूनिट खून चढ़ाया गया और उसके दोनों पैरों में फैक्चर होने के कारण छड़ें डाली गईं और बाएं पैर के घुटने के ऊपर की हड्डी टिबिया और फिबुला हड्डी में फ्रैक्चर होने की वजह से छड़ें डाली गई थी और दोनों हाथों के कॉर्पल और रेडियस में फ्रैक्चर थे जिसके कई ऑपरेशन किए गए। लगभग दो–तीन दिन बाद उसे परिवारजनों द्वारा दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु होने की बात बताई गई थी उसके बाद उसके और उसके दोनों बच्चियों के कई ऑपरेशन हुए और लगभग 22 दिन तक इलाज दौरान भर्ती रहे। आज भी उसका इलाज चल रहा है और वह अपने दैनिक क्रियाओं को दूसरों पर निर्भर थी। दुर्घटना के समय उसके ऊपर लगभग ७ से ८ लाख रुपये का खर्चा आया था। दुर्घटना के बाद उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसने यह दावा ₹ ४५,००,००० का किया है। याचिया की ओर से दुर्घटना में आयी चोटों व इलाज के समर्थन में फेहरिस्त ३९सी१ के माध्यम से महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज झॉसी के आकस्मिक विभाग व रेडियोलॉजी विभाग के असल पर्चे, शीला जैन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का असल डिस्चार्ज टिकिट, महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज झॉसी के आकस्मिक विभाग का याचिया की असल इन्जरी फॉर्म, इलाज के पर्चे, इंजरी रिपोर्ट, दावाओं के बिल आदि दाखिल किये गये हैं। लगभग २,२९,८६६ रुपये के बिल/इनवाइस प्रस्तुत किए गए हैं जिनके सापेक्ष २,२७,७३४ रु. के बिल बीमा कम्पनी द्वारा सत्यापित कराए गए हैं जिन्हे मैं उचित पाता हूँ। प्रकरण की समस्त

परिस्थितियों में उक्त गंभीर चोटों पर मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए १८ ,००० रु., पुष्टाहार के लिए १८,०००रु., सहायक की सेवाओं के लिए खर्च पर १८ ,००० रु., इलाज के लिए अवागमन पर खर्च १०,००० रु. व अस्थायी रूप से कार्य न कर पाने की हानि के लिए १०,००० रु. दिलाया जाना भी न्यायोचित समझता हूॅ। इस पर ब्याज ७.५ प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से याचिका प्रस्तुत करने के दिनॉक से दिलाया जाना भी न्यायोचित होगा।

आदेश

याची की याचिका विपक्षी सं. १ व ३ के विरुद्ध पृथक–पृथक व संयुक्त दायित्व के आधार पर आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि **₹३,०१,७३४/– (तीन लाख एक हजार सात सौ चौंतीस**) मय ७.५ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए स्वीकार की जाती है। विपक्षी सं. २ को आदेशित किया जाता है कि वह याची को निर्णय के दिनॉक से ३० दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कर दें। क्षतिपूर्ति की धनराशि याचिया श्रीमती रेखा कौशिक के खाते मे इलेक्ट्रानिक मोड से नग़द भुगतान की जाएगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक २२.०६.२०२० (चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झांसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया। निर्णय की सूचना पक्षकारों को दी जाए।

दिनॉक २२.०६.२०२० (चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण,
झांसी।